



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 1001) पटना, सोमवार, 17 अगस्त 2026

सं० 11/निगरानी-26/2023(खण्ड-VII) 7623/वि०
वित्त विभाग

—
संकल्प
14 अगस्त 2026

श्री रिजवान अहमद, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध उप कोषागार, दानापुर एवं पटना सिटी तथा कोषागार, वैशाली एवं गया से संबंधित मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा के परिशिष्ट 3.5.1 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, असेनिक शल्य चिकित्सक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बैंक, कोषागार पदाधिकारियों तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दनियावाँ/शाहजहाँपुर/पालीगंज/समरा/मटिहानी/अकबरपुर/बोधगया चेरकी/खजवटी/सहदेई बुजुर्ग इत्यादि से भविष्य निधि एवं अन्य मदों की राशि की कपटपूर्ण निकासी के मामले में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागारों द्वारा की गई लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत आरोप-पत्र गठन का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में श्री रिजवान अहमद के विरुद्ध दिनांक-20.12.2011 से 25.03.2013 तक गया कोषागार में पदस्थापन अवधि में हुई कपटपूर्ण निकासी के लिए कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आधार पर उनके विरुद्ध आरोप-पत्र का गठन किया गया।

(2) विभागीय पत्रांक-11208, दिनांक-30.10.2025 द्वारा उक्त गठित आरोप-पत्र की एक प्रति श्री अहमद को उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गई, जिसके प्रतिउत्तर में दिनांक-05.11.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। इस पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अभिकथन को असंतोषजनक पाकर अस्वीकृत कर दिया गया।

(3) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 नियम-17 (2) के अधीन श्री अहमद के विरुद्ध आरोपों की विहित रीति से जाँच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-13073, दिनांक-24.12.2025 द्वारा श्री जय सिंह, भा०प्र०से०, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री नन्द किशोर मेहता, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

(4) श्री जय सिंह, भा०प्र०से०, सचिव(संसाधन)-सह-संचालन पदाधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात् वित्त विभागीय आदेश ज्ञापांक-6252, दिनांक-08.07.2026 के द्वारा श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (भा०प्र०से०), विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री नन्द किशोर मेहता, (बिहार सचिवालय सेवा), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

(5) विशेष सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के गै०स०प्रे०सं०-07/SS(RKS)cell दिनांक-28.07.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री अहमद के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

(6) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री रिजवान अहमद, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के आलोक में उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री रिजवान अहमद, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गया सम्प्रति आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों से उन्हें मुक्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमित कुमार मिश्रा,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1001-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>